

आईएस 14543 : 2016

पैकेजबंद पेय जल (पैकेजबंद प्राकृतिक मिनरल जल को छोड़ कर)

विषय-क्षेत्र एवं निर्माण

इस मानक में पैकेज रूप में बिक्री किए जाने वाले पेय जल (प्राकृतिक खनिज जल को छोड़ कर) के नमूने लेने तथा परीक्षण की अपेक्षाएं और पद्धतियां निर्दिष्ट की गई हैं।

पैकेजबंद पेय जल से अभिप्राय ऐसे सतह जल अथवा भूमिगत जल अथवा समुद्री जल से लिए गए जल से है जिसका विशिष्ट उपचार किया जाता है। जल के उपचार में जल को निथारना, छानना (फिल्टरेशन), फिल्टरेशन संयोजन, एयरेशन, मेम्ब्रेन फिल्टर से फिल्टरेशन, गहन फिल्टर, कार्टिज फिल्टरेशन, एकटीवेटिड कार्बन फिल्टरेशन, खनिज रहित करना, पुनः खनिज मिलाना, रिवर्स ऑसमोस तथा जीवाणु रहित करना शामिल है। उपचार उस स्तर तक किया जाए कि पेय जल में रासायनिक अभिकर्मकों से उपचार किए जाने पर कोई हानिकारक संदूषण न रहे या भौतिक पद्धतियों द्वारा इस स्तर तक उपचार किया जाए कि जल का सूक्ष्मजैवीय स्तर खाद्य सुरक्षा अथवा उसकी अनुकूलता के लिए वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य स्तर से कम न हो। समुद्री जल का उपरोक्त उपचार किए जाने से पूर्व उसका विलवणीकरण और संबद्ध प्रक्रियाएं की जाएं। उपचारित जल को विभिन्न घटकों से बने और क्षमताओं वाले ऐसे सीलबंद आधानों में भरा जाए जो बिना किसी अन्य उपचार के सीधे उपयोग करने के लिए उपयुक्त हों। यदि पुनः खनिज मिलाना, उपचार प्रक्रिया का हिस्सा हो, तो प्रयुक्त घटक खाद्य ग्रेड गुणता के हों तथा एफएसएस अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बने नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों।

अपेक्षाएं

मानक में निम्नलिखित की अपेक्षाएं निर्दिष्ट हैं

सूक्ष्मजैवीय मानदंड

आर्गेनोलेप्टिक एवं भौतिक मानदंड

अत्यधिक मात्रा में अवांछित तत्त्व

जहरीले तत्त्व

रेडियोधर्मी अवशिष्ट और

कीटनाशी अवशिष्ट

मानक में वे स्वास्थ्यकर रीतियां भी निर्दिष्ट की गई हैं, जिनका अनुपालन निर्माता को करना है।